# न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-498/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) मो0 नाशीर, पिता-स्व0 हफीज उर्फ भोला,
सा0-थरिया-बकिया, वार्ड नं0-9, पंचायत-बोकड़ा, थाना-सिमराहा,
(2) राहुल रंजन, पिता-शिवानन्द शर्मा,
सा0-बरदाहा, वार्ड नं0-09, पो0-आर0टी0 मोहन, थाना-सिमराहा
(होण्डा साईन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR38Q0921,
चेचिस संख्या-ME4JC736MH8001417,
ईंजन संख्या-JC73E81029312 के मालिक)..........................................विपक्षीगण

| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित) |
|---|---|---|
| 01.04.2021 | इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1368/हि0शा0, दिनांक 25.07.2020) के आलोक में फारबिसगंज (सिमराहा) थाना कांड संख्या-343/20, दिनांक-05.05.2020, धारा-30(क)/38(I) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त होण्डा साईन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR38Q-0921, चेचिस संख्या-ME4JC736MH8001417, ईंजन संख्या-JC73E81029312 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु विपक्षियों के विरूद्ध प्रारम्भ की गई। विपक्षियो को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। सूचना का तामिला प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। विपक्षी संख्या-02 की ओर से दिनांक 29.09.2020 को वकालतनामा के साथ हाजिरी दी गई। लेकिन आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी वाहन मालिक को हर्जाना मो0-50/-रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद विपक्षीगण की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि विपक्षीगण को इस वाद में कोई रूचि नही है।<br>(2) विपक्षियों की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1368/हि0शा0, दिनांक 25.07.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया।<br>(3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का कहना है कि पुलिस अवर निरीक्षक, सिमराहा थाना द्वारा दिनांक-05.05.2020 को समय 17.30 बजे सरकारी वाहन से सशस्त्र बल के गृह रक्षक के साथ संध्या गश्ती एवं लॉक डाउन के निर्देशों के अनुपालन हेतु थाना से प्रस्थान किए। गश्ती करते समय लगभग 22.00 बजे डोरिया सोनापुर मिल चौक पर उत्तरी पूर्वी उपमार्ग में पहुँचे तो देखा कि एक मोटर साईकिल पर एक व्यक्ति पश्चिम की ओर से आ रहा है। पुलिस वाहन को देखते ही वह मोटर साईकिल को छोड़कर भाग गया। भागने वाले व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया गया लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। वहाँ उपस्थित ग्रामीण द्वारा भागने वाले व्यक्ति का नाम-1. मो0 नाशीर, पिता-स्व0 हफीज उर्फ भोला, सा0-थरिया-बकिया, वार्ड नं0-9, पंचायत-बोकड़ा, थाना-सिमराहा, जिला-अररिया बताया गया। मोटर साईकिल की तलाशी वहाँ उपस्थित दो स्वतंत्र गवाहों-1. मो0 चुना, पिता-हसीबुर्रहमान, सा0-डोरिया सोनापुर, थाना-सिमराहा, जिला-अररिया एवं 2. मो0 इमाम, पिता-मो0 हारूण, सा0-डोरिया सोनापुर, वार्ड नं0-9, थाना-सिमराहा, जिला-अररिया के समक्ष किया गया। मोटर साईकिल होण्डा साईन रजिस्ट्रेशन संख्या-BR38Q-0921, ईंजन संख्या-JC73E81029312, चेचिस संख्या-ME4JC736MH8001417 के सीट के नीचे 4(चार)पीस Eskuf कफ सिरप (Codeine phosphate & chlorphenizamine maleate syrup) प्रति पीस 100 मिली लीटर बरामद हुआ। वहाँ उपस्थित गवाहों के समक्ष बरामद कफ सिरप एवं मोटर साईकिल को विधिवत् जब्ती सूची तैयार कर जब्त किया | |

अधिहरण वाद संख्या-498/2020

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित) |
|---|---|---|
| 01.04.2021 | गया। बिना किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति, परमिट अथवा पास के बिना किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, कब्जा, क्रय, विक्रय, वितरण, संग्रहण, बोतल बंद, आयात, निर्यात, परिवहन करना अथवा दूर हटाना, शराब का उपभोग आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षियो के विरूद्ध फारबिसगंज (सिमराहा) थाना कांड संख्या-343/20, दिनांक-05.05.2020, धारा-30(क)/38(I) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया।<br><br>विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध कफ सीरप को जब्त मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। अधिसूचना संख्या-11/अधि.कार्या.-01-06/2016/4027, दिनांक-18.10.2016 के अनुसार बिहार राज्य सरकार Codein/Dextropropoxyphene औषधीय घटक वाले दवाओं अथवा औषधीय निर्मित को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रयोजनार्थ "मादक द्रव्य" (Intoxicants)" अधिसूचित है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय।<br><br>(4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्को पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षियो द्वारा जब्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR38Q-0921, चेचिस संख्या-ME4JC736MH8001417, ईजन संख्या-JC73E81029312 का उपयोग अवैध कफ सीरप, जो "मादक द्रव्य" (Intoxicants)" है, को व्यावसायिक उद्देश्य से ढोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त कफ सीरप एवं मोटर साईकिल का कोई दावेदार इस न्यायालय में अपना दावा नहीं किया है। जब्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR38Q-0921 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार **फारबिसगंज (सिमराहा) थाना कांड संख्या-343/20, दिनांक-05.05.2020, धारा-30(क)/38(I) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 में जब्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या-BR38Q-0921, चेचिस संख्या-ME4JC736MH8001417, ईजन संख्या-JC73E81029312 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।<br><br>विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं।<br><br>उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।<br><br>लेखापित एवं संशोधित<br><br>समाहर्त्ता, अररिया<br><br>समाहर्त्ता, अररिया<br><br>ज्ञापांक 1025/विधि, अररिया, दिनांक 8.4.2021<br>प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।<br>प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।<br>प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।<br>प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।<br><br>समाहर्त्ता, अररिया | |

न्यायालय, जिला समाहर्त्ता एवं दण्डाधिकारी, अररिया (बिहार)